न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश,कोर्ट सं०-6 गाजियाबाद।

मूल वाद सं०-102/2021,
श्रीमती उषा बनाम सत्यप्रकाश आदि,
पंजीयन सं०-124/2021
CNR No.UPGZ05000181 2021

22-01-2021

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर वादिनी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए।

अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र 6 ग 2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सी पी सी मय शपथपत्र पर वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वादिनी द्वारा प्रतिवादी सं० 1 व 3 को वाद पत्र मे वर्णित वादिनी के भाग अक्षर G-H-F-D स्थित मकान नं० 24 गली नं० 1 गउशाला फाटक, तहसील व जिला गाजियाबाद से अक्षर N मे जबरन आवागमन करने, रास्ता बनाने, वादिनी को तंग व परेशान करने व शान्तिपूर्ण निवास मे व्यवधान उत्पन्न करने से बाज रहने के सम्बन्ध मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की प्रार्थना की गयी है। अपने समर्थन मे वादिनी की ओर से सूची 11ग से विद्युत बिल व आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियो तथा प्रस्तुत दस्तावेजो को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रतिवादी पक्ष को बिना सुने एकपक्षीय अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित करने का प्रथम दृष्टया आधार परिलक्षित नही होता है। प्रतिवादी पक्ष को सुनकर ही कोई आदेश पारित किया जाना उचित होगा। अतः प्रतिवादी को नोटिस बाद पैरवी नियमानुसार जारी हो।

पत्रावली वास्ते आपत्ति/निस्तारण अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र 6ग दिनांक 04-02-2021 को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश,कोर्ट सं०-6,
गाजियाबाद।

प्रार्थनापत्र 8 ग अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 व धारा 151सी०पी०सी० पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अमीन को परवाना जारी हो। पैरवी नियमानुसार हो।

अमीन को आदेशित किया जाता है कि वह दोनो पक्षो को सूचित करने के उपरान्त मौके की वर्तमान भौतिक स्थिति के सम्बन्ध मे अपनी आख्या मय पैमाइशी नक्शा नियत तिथि को दाखिल करे। प्रार्थनापत्र 8 ग तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

अपर जिला न्यायाधीश,कोर्ट सं०-6,
गाजियाबाद।

Digitally signed by Abhishek Kumar Srivastav
Date: 2021.01.22 15:51:16 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court